**Reservation of SC and BC in the Job under HKRNL**

**Question No. \*68**

Sh. SHISHPAL SINGH KEHARWALA (Kalanwali):Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether there is any provision of reservation for the schedule casts and backward caste in the recruitment which are being made by the Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd;

b) the total number of recruitments have been made under the Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd so far; and

c) whether the jobs have been provided by the Government in the foreign countries under the Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd togetherwith the total number of jobs provided as well as the name of the countries?

**Answer:** Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

1. Yes, Sir.The provision of reservation has been made by the Government in the policy “Deployment of Contractual Persons Policy, 2022” dated 30th June 2022, where in clause number 9, specifies about the reservation policy; “The Reservation Policy states “*The reservation policy both vertical and horizontal, applicable from time to time for direct recruitment, shall also be followed by the Nigam at State Level and not at District Level. Further, at Job Role Level and not Job Role-wise. It being not a selection by way of written examination therefore, the provision of deployment of a candidate of reserved category on his own accord shall not be applicable. The overall strength of candidates of reserved category deployed in a Job Role at State level should not exceed the maximum limit of reservation. The roster shall be maintained year-wise, level of job role-wise and State wise instead of category of job role wise or District/Organisation wise. It is also clarified that in case of non-availability of suitable candidate(s) of horizontal category the suitable person of vertical category, if available, may be deployed by the Nigam. In case of non-availability of suitable candidate of specific category of the manpower of other category shall be deployed by the Nigam. It is not a regular appointment; therefore, no backlog shall be maintained in case of non-availability of suitable candidates of reserved category in a particular year”*

b) A total of 118880 nos. recruitments have been made under the Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd as on 17.02.2024, year-wise detail asgiven below:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| S.No | Year | | No. of Deployments (Fresh) | | No. of Deployments (Porting) | | Total |
| 1 | 2022 | | 1793 | | 96209 | | 98002 |
| 2 | 2023 | | 9897 | | 9047 | | 18944 |
| 3 | 2024 | | 1443 | | 491 | | 1934 |
| **Total** | | **13133** | | **105747** | | **118880** | |

1. No direct deployments have been made in foreign countries by Haryana Kaushal Rozgar Nigam Ltd. However, for Israel, HKRNL assisted the National Skill Development Corporation for identification of eligible youth desirous of being engaged and enabling training to be provided to make them employable for the purpose.

**एच0के0आर0एन0एल0 के अंतर्गत नौकरी में एस0सी0 और बी0सी0 को आरक्षण**

**प्रश्न संख्या \*68**

शीशपाल सिंह केहरवाला (कालांवाली): क्या मुख्यमंत्री कृपा बताएंगे कि:-

1. क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही भर्तियों मे अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गा को आरक्षण देने का कोई प्रावधान है;
2. हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत अब तक की गई भर्तियों की कुल संख्या कितनी है; तथा
3. क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत विदेशों में सरकार द्वारा नौकरियां प्रदान की गई हैं तथाकुल कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं तथा देशों के नाम क्या है

**उत्तर:** श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

1. महोदय जी, हां सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान "अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति-2022" दिनांक 30 जून 2022 में किया गया है, जिसके खंड संख्या 9 में आरक्षण नीति के बारे में निर्दिष्ट किया गया है।(*“आरक्षण नीतिअनुसारआरक्षण नीतिका पालन जिला स्तर पर न होकर राज्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर¼वैरटिकल½ और क्षैतिज¼होरिजंटैल½ दोनोंसीधी भर्ती के लिएसमय समय पर किया जाता है।इसके अलावा, रोजगार की भूमिका के अनुसार नहोकर बल्कि रोजगार की भूमिका के स्तर परदिया जाता है । यह लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन नहीं है, इसलिए, एक उम्मीदवार की नियुक्ति का प्रावधान है, अपनी मर्जी से आरक्षित श्रेणी लागू नहीं होगी। राज्य स्तर पर रोजगार की भूमिका में नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या आरक्षण की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोस्टर को वर्ष-वार बनाए रखा जाएगा, रोजगार की भूमिका का स्तर- रोजगार की श्रेणी के बजाय, भूमिका के अनुसार या जिलासंगठन के अनुसार और राज्य वार होगी । यह भी स्पष्ट किया गया है कि, क्षैतिजश्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में ऊर्ध्वाधर श्रेणी के उपयुक्त व्यक्ति, यदि उपलब्ध हो, को नियुक्त किया जा सकता है। निगम द्वारा. विशिष्ट श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में निगम द्वारा अन्य श्रेणी की जनशक्ति को नियुक्त किया जाएगा। यह कोई नियमित नियुक्ति नहीं है; इसलिए, किसी विशेष वर्ष में आरक्षित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में कोई बैकलॉग नहीं रखा जाएगा“*।
2. हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत 17.02.2024 तक कुल 118880 भर्तियां की गई हैं, वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| क्र.सं. | वर्ष | नियुक्तियों की संख्या(नई) | नियुक्तियों की संख्या (पोर्टिंग) | **कुल** |
| 1 | 2022 | 1793 | 96209 | 98002 |
| 2 | 2023 | 9897 | 9047 | 18944 |
| 3 | 2024 | 1443 | 491 | 1934 |
| **कुल** | | **13133** | **105747** | **118880** |

**ग½** महोदय जी, हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड द्वारा विदेशों में कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई है। हालाँकि, इज़राइल के लिए, एचoकेoआरoएनoएलo ने इच्छुक युवाओं की पहचान करने और उन्हें रोजगार योग्य व सक्षम बनाने के उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता की है।